

## इटली गणराज्य का संविधान

संविधान के बुनियादी सिद्धान्त

दफा 1

इटली एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है जो के काम पर आधारित है ।  
संपूर्ण प्रभुता प्रजा के हाथ में है और प्रजा उसका उपयोग संविधान की  
सीमा के अन्दर किसी भी प्रकार से कर सकती है।

दफा 2

यह गणराज्य हर मनुष्य के कभी ना नष्ट हो सकने वाले अधिकारों को  
मानता है और उनकी जिम्मेदारी लेता है, चाहे वह मनुष्य अकेला है या  
वह किसी सामाजिक समूह का हिस्सा है, जहाँ उसका व्यक्तित्व प्रकट  
होता है । प्रजापालित राज्य इस बात की आशा करता है हर नागरिक सभी  
राजनीतिक , आर्थिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करे।

दफा 3

सभी मनुष्यों की बराबर समाजिक मर्यादा है और सभी कानून की नज़रो  
में एक समान है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, राजनितिक विचार  
धारा, आर्थिक व समाजिक स्थिति से संबंध रखते है।

इस गणराज्य का कर्तव्य है के वह नागरिकों की आर्थिक व समाजिक  
कठनाई को दूर करे जो उनकी की आज़ादी व सामानता को सीमाबद्ध  
करता है , उनके मानविक व्यक्तित्व की उन्नति में बाधा डालता है और  
किसी भी प्रकार से कार्यकर्ताओ को राजनितिक ,आर्थिक व समाजिक  
संगठनों में हिस्सा लेने से रोकता है ।

दफा 4

गणराज्य हर नागरिक के काम करने के अधिकार को मानता है और उन सब प्रबंधों व संस्थाओं को बढ़ावा देता है जो के इस अधिकार को सफल बनाने में मदद देता है।

हर नागरिक का यह कर्तव्य के वह अपनी क्षमता और चाहत अनुसार, कोई ऐसा काम करे जो के समाज की आर्थिक उन्नति व कुशल अवस्था में सहयोग दे सके ।

दफा 5

गणराज्य एक और अविभाज्य है, लेकिन वह क्षेत्रीय स्वयं शासन को मानता है और उनकी उन्नति में मदद करता है, जो सेवाएँ राष्ट्रीय सरकार प्रदान करती है उन्हें स्थानीय प्रशासन में बाँट दिया गया है और केन्द्रीय सरकार अपने सिद्धान्तों व कार्य प्रणाली को स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को नज़र में रखते हुए बनाती है ।

दफा 6

गणराज्य कम संख्या वाले भाषिक समुदाय को उपयुक्त पद्धति से सुरक्षित करता है।

दफा 7

राष्ट्र सरकार और कैथोलिक चर्च अपने दरजे की दो मुख्य और स्वतन्त्र शक्तियाँ हैं ।

उनके बीच के संबंध लेटेरेन समझौते(Lateran Pacts) द्वारा नियमित किया गया है। इस समझौते में किसी परिवर्तन को दोनों दल मानते हैं और उस परिवर्तन के लिए संविधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है।

दफा 8

हर धार्मिक प्रतीति कानून की नज़रो में स्वतन्त्र और समान है।

कैथोलिक चर्च के सिवा, बाकी सभी धार्मिक प्रतीति को पूरा अधिकार है के अपने संघटन-विधान अनुसार अपने को नियोजित करे जब तक वह इंटेलेियन कानून दफा के खिलाफ ना हो ।

दफा 9

गणराज्य, हर प्रकार के सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय पुश्तैनी, ऐतिहासिक व कलात्मक संपत्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है।

दफा 10

इस देश का कानूनी प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए सभी निर्देशो व कायदो के समुचित है ।

हर विदेशी की न्यायिक अवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय संधि व उनसे सम्बन्धित नियमानुसार, हिसाब लगाया जाएगा

अगर किसी विदेशी को उसके देश में प्रजातान्त्रिक आजादी नहीं है, वो आजादी जिसे इटैलियन संविधान स्वीकार करता है तो उसे इस देश में शरणार्थी अवस्था पाने का अधिकार है। यह अधिकार कानूनी प्रबंध द्वारा स्थापित किए गये हैं।

राजनीतिक कारणों से किसी भी विदेशी को प्रत्यार्पण यानि वापस नहीं भेजा जा सकता।

दफा 11

इटली देश युद्ध को किसी राष्ट्र की जनता की आजादी पर हमला करने का एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवादो को हल करने का माध्यम बनना, नामञ्जूर करती है । इटली देश , बाकी देशों के साथ बराबरी में मानती है के एक ऐसे शक्तिमान संघटन की जरूरत है जो के दुनिया के सभी के बीच शांति न्याय बनाए रखे । इटली देश ऐसी सभी संघटनो को प्रोत्साहन व मदद देती है जो के इस उद्देश्य को नज़र में रखते हुए काम करते हैं।

दफा 12,

इटली गणराज्य का झंडा तीन रंगों से बना है। हरा , सफेद व लाल रंग लम्बवर्त, बराबर नाप वाली तीन पट्टियों में इस झंडे में मौजूद होती है।

## पहला हिस्सा

### नागरिकों के अधिकार व जिम्मेदारियाँ

#### विषय 1

#### वैधानिक अधिकार व जिम्मेदारियाँ

#### दफा 13

निजी आज़ादी हर व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी निरीक्षण या व्यक्तिगत तहकीकात किसी भी व्यक्ति की निजी आज़ादी पर नहीं करी जा सकती । तहकीकात की आज्ञा सिर्फ तब है, जब के न्यायिक अधिकारी ने कानूनी विधि व लक्ष्य के लिए पुष्ट वारंट को प्रचलित किया गया है।

आपातकालीन अवस्था में कानून कायदों के तहत न्याय संरक्षण अधिकारी ,सिर्फ अस्थाई समय के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं, लेकिन इसकी खबर 48 घंटे के अन्दर अन्दर न्यायिक प्राधिकरण को देनी आवश्यक है। अगर न्यायिक प्राधिकरण ने कदमों को जरूरी ना समझा तो इन्हे फौरन रद्द कर दिया जाएगा और यह निष्प्रभाव हो जाएंगे ।

किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा जो कि उसकी निजी आज़ादी के खिलाफ है एक कानूनी गुनाह माना जाएगा ।

#### दफा 14

व्यक्तिगत घर हर व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी निरीक्षण, विरोध, कब्जा और तलाश किसी भी घर पर नहीं करी जा सकती, यह सिर्फ तभी संभव है जब यह कारवाई कानून के तहत व निजी आज़ादी को नज़र में रखते हुए करी जाए।

जनता की सुरक्षा व सेहत को नज़र में रखते हुए या आर्थिक एंव शुल्क संबंधित कारणों से जाँच पड़ताल की जा सकती है लेकिन उसे विशेष कानूनों द्वारा सीमाबंध किया गया है।

दफा 15

पत्रव्यवहार व हर प्रकार के संपर्क -साधन को गुप्त रखने की आज्ञा दी है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, सिर्फ न्याय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित वारंट के द्वारा जो के हर नज़र से कानून के सीमाबंधन में होना चाहिए ।

दफा 16

हर नागरिक, देश के किसी भी हिस्से जाने और रहने का अधिकार रखता है, सिवाय आम पाबन्दी के, जो कि कानून ने जनता की सुरक्षा और सेहत को नज़र में रखते हुए बनाई है। लेकिन राजनितिक कारणों से पाबन्दी लगाने की आज्ञा नहीं है।

हर नागरिक को देश के बाहर जाने और वापस आने का अधिकार है, बशर्ते हर कानूनी कार्यवाही को पूरा किया गया हो।

दफा 17

नागरिकों को बिना शस्त्र, शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा/ एकत्रित होने का पूरा अधिकार है

सभा के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ,चाहे यह सभा ऐसे स्थान पर हो ,जहाँ सभी लोगों को जाने की इज़ाज़त है।

सार्वजनिक स्थान पर सम्मेलन करने के लिए न्याय अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है ताकि अगर वह सम्मेलन को जनता की सुरक्षा या अच्छाई के खिलाफ माने तो, वह उसे रद्द करने का अधिकार रखता है।

दफा 18

नागरिकों को अधिकार है कि वे बिना अनुमति, आज़ादी से संघ बना सकें, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दण्डनीय कानून के तहत हर व्यक्ति पर निषिद्ध है।

हर वह सभा या गुप्त संस्था जो किसी भी तरह अपने राजनितिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिए फौजी-व्यवस्थापन रखती है, इस देश में निषिद्ध है।

दफा 19

हर व्यक्ति को खुले आम अपने धार्मिक विश्वास, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसको व्यक्तिगत ढंग से या किसी सभा में फैलाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अकेले में या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने धर्म अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार है बशर्ते उसकी रस्म सार्वजनिक नीति के खिलाफ ना हो।

दफा 20

हर गिरजाघर स्वाभाविक या धार्मिक रस्म को बरकरार रखने के उद्देश्य से बनाई संस्था को विशेष कानूनी सीमाबंधी द्वारा नियन्त्रित रखना आवश्यक नहीं है, उनके संस्थापन और उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का विशेष शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

दफा 21

हर व्यक्ति को किसी भी रूप में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी भी संचार माध्यम से प्रकट किया जाए।

अखबारों( प्रेस) को किसी भी प्राधिकृति व सेंसर द्वारा नियन्त्रित रखना आवश्यक नहीं है।

किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रकाशित मान्य वारंट होने पर ही प्रेस पर जब्ती की जा सकती है। यह उन हालत में प्राधिकृत है जब प्रेस संबंधी कानूनों का उल्लंघन हुआ हो या फिर किसी अपराध के उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम प्रकाशित किया जाए ।

आपातकालीन अवस्था में जहाँ न्यायिक अधिकारी कर्तव्य नहीं निभा सकते, उस अवस्था में सामयिक प्रकाशन पर पुलिस को छापा /जब्ती करने की अनुमति है।लेकिन उन्हें इस की जानकारी 24 घंटे के अन्दर अन्दर न्यायिक प्राधिकरण को देनी आवश्यक है। है। अगर न्यायिक प्राधिकरण ने कदमों को अगले 24 घंटे में निश्चित ना किया तो इन्हे फौरन रद्द कर दिया जाएगा और यह निष्प्रभाव हो जाएंगे।

कानून, साधारण कायदों द्वारा यह स्थापित करता है के सामयिक प्रेस को अपने आर्थिक स्रोत के बारे में सूचना देनी होगी।

हर लिखित प्रकाशन, सार्वजनिक प्रोग्राम व वृत्तांत जो किसी रूप में जनता की न्यायता को ठेस पहुँचाएँ वर्जित है ।

कानून ने उचित प्रबंध किए हैं जिससे हर अपराध को निषेध और दमन किया जा सके।

दफा 22

किसी भी व्यक्ति को धन सम्बन्धी या फिर राजनीतिक कारणों से, उसके कानूनी अधिकारों, नागरिकता और नाम से वंचित नहीं किया जा सकता ।

दफा 23

किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक या धन सम्बन्धी सेवा नहीं थोपी जा सकती , सिवाय जब यह कानून द्वारा निश्चित किया गया हो।

दफा 24

हर व्यक्ति, व्यक्तिगत अधिकारों बरकरार रखने के लिए व जायज हक पाने के लिए न्यायिक कार्यवाही कर सकता है

न्यायिक कार्यवाही के दौरान प्रतिवाद/ रक्षा करने के अधिकार का किसी भी अवस्था और स्तर पर उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

निर्धन को सुनिश्चित, उचित माध्यमों द्वारा, कार्यवाही के साधन दिए जाएंगे ताकि वह भी हर अदालत में अपने अधिकारों का पाने के लिए उचित कदम उठा सके।

न्यायिक भूल होने पर कानून मुहाफज़े का रूप व साधन निर्धारित करता है ।

दफा 25

कोई भी व्यक्ति अपना कानून द्वारा निश्चित ,न्यायिक क्षेत्र नहीं बदल सकता।

हर व्यक्ति को सिर्फ कानून की किसी धारा के तहत सज़ा दी जा सकती है , लेकिन यह कानून अपराध के पूर्व बना होना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति पर सीमा बंधन नहीं लगाया जा सकता , सिवाय जब यह कानून द्वारा निश्चित किया गया हो।

दफा 26

किसी भी नागरिक का प्रत्यार्पण तभी मुमकिन है जब यह किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के तहत है।

राजनीतिक अपराधों के लिए किसी भी नागरिक का प्रत्यार्पण यानि वापस भेजना मुमकिन नहीं है।

दफा 27

अपराध का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होता है।

प्रतिवादी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ,को न्याय ऐलान होने तक मुजरिम नहीं माना जा सकता ।



सज़ा किसी भी प्रकार का क्रूर बर्ताव नहीं हो सकती और उसका उद्देश्य मुजरिम के व्यक्तित्व का पुनर्सुधार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, इसकी आज्ञा सिर्फ जंग के दौरान फौजी कानून के तहत दी गई है।

दफा 28

अगर सरकारी या प्रादेशिक समाजिक अफसर या कर्मचारी ने किसी कार्य से कानून भ्रष्ट किया है तो वह दंडसंबंधी, वैधानिक और प्रशासनिक कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ऐसी दशा में वैधानिक उत्तरदायित्व सरकारी या प्रादेशिक समाजिक दफ्तर का भी होगा।

विषय 2

**नैतिक और सामाजिक अधिकार व जिम्मेदारियाँ**

दफा 29

यह गणराज्य परिवारो के अधिकार, शादी पर आधारित ,प्राकृतिक समाज को देती है ।

कानून अनुसार पति- पत्नी की नैतिक और न्यायिक समानता शादी का आधार है, व यह समानता परिवार की एकता को गारंटी प्रदान करती है।

दफा 30

यह माता-पिता की जिम्मेदारी व अधिकार है के वह अपने बच्चो को शिक्षा दे और बड़ा करे, चाहे वह बच्चे शादी के बंधन से बाहर पैदा हुए हो।

अगर माता-पिता यह जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं तो कानून इस का प्रबंध करेगा,ताके कोई और उनकी जिम्मेदारी संभाले।

शादी के बंधन से बाहर पैदा हुए बच्चों को भी कानून सभी अधिकारो व सुरक्षा का हकदार मानता , लेकिन वह अधिकार किसी परिवार के सदस्य के अधिकारों को खिलाफ नहीं होने चाहिए।

कानून ने पितृत्व को पता करने संबंधी, कायदे व सीमा भी नियमित की हैं।

दफा 31

यह गणराज्य, आर्थिक रूप में व अन्य लाभ साधनों द्वारा परिवारों की रचना व कर्तव्य पूर्ति में मदद करता है, खासकर उन्हें, जिन परिवारों में ज्यादा सदस्य हैं ।

मातृत्वता, बचपन व किशोरावस्था की आवश्यक संस्थापनों व उपायों, द्वारा रक्षा करता है।

दफा 32

यह गणराज्य, स्वस्थ जीवन हर नागरिक का बुनियादी अधिकार मानता है और यह समझता है के यह समाज की भलाई के लिए भी बहुत जरूरी है और बीमार लोगों को मुफ्त इलाज देने की जिम्मेदारी लेता है।

किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती कोई इलाज नहीं किया जा सकता अगर उसका प्रबंध कानून द्वारा ना किया होतो, लेकिन फिर भी कानून व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

दफा 33

कला-कारीगरी और विज्ञान क्षेत्र ,स्वतंत्र हैं एवं उसकी शिक्षा भी सब को स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है।

इस गणराज्य ने हर दरजे , शाखा और स्तर की शिक्षा, और शिक्षा-संस्था संबंधी आम कायदे बनाए हैं।

सत्त्व और अप्रकट व्यक्तियों को विद्यालय व शिक्षा-संस्था बनाने का अधिकार है,लेकिन वह सरकार पर बोझ नहीं होना चाहिए।

कानून ने, उन विद्यालयों व शिक्षा-संस्थों के अधिकार व कर्तव्य स्थिर किए हैं जो के समतुल्यता मांगते हैं , इन कायदों के अनुसार उन्हें अपने विध्यार्थियों को स्वतंत्र रूप व ढंग से शिक्षा देने का अधिकार है लेकिन उसका स्तर सरकारी विद्यालयों के बराबर होना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा द्वारा ही शिक्षा-संस्थों के विभिन्न शाखाओं व दरजों में दाखिला या उपाधि (ग्रैजुएशन) मिल सकती है, जिससे आप को किसी भी व्यवसाय करने की योग्यता प्राप्त होती है।

वह शिक्षा-संस्थों जैसे के उच्च विद्यालय, आकेदमी या विश्वविद्यालय उनको स्वतंत्र रूप से अपने कायदे बनाने का अधिकार है लेकिन यह कायदे कानून द्वारा स्थापित सीमा के अधीन होने चाहिए।

दफा 34

विद्यालय सभी के लिए खुली हुई है ।

प्राथमिक शिक्षा जो के आठवीं कक्षा तक चलती है, सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त है।

योग्य व पात्र विध्यार्थीयो, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें भी उच्च विद्या पाने का पूरा अधिकार है।

यह गणराज्य छात्रवृत्ति, परिवरों के लिए भत्ता व अन्य लाभों के रूप में योग्य विध्यार्थीयो की मदद करेगा । इन छात्रों की योग्यता राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं द्वारा परखी जाऐगी।

पाठ 3

दफा 35

यह गणराज्य काम के हर रूप और संप्रयोग की रक्षा करता है।

वह कर्मचारियों की व्यवसायी उन्नति के लिए और प्रशिक्षण कोर्स का प्रबंध करता है।

वह हर अन्तर्राष्ट्रीय संधि और संस्था को प्रोत्साहन व सहारा देगा जो मजदूरों के हक को विधिवत करते हैं, या बढ़ावा देते हैं।

यह गणराज्य अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में बसने की आजादी भी देता है, अगर इससे सार्वजनिक हित पर और अन्तर्राष्ट्रीय बजार में इटेलियन व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े ।

दफा 36

कर्मचारियों को परिश्रम और समय अनुसार तन्खा पाने का अधिकार है, यह तन्खा उन्हें और उनके परिवार को आजाद और इज्जतदार जिंदगी देने के काबिल होनी चाहिए।

परिश्रम के अधिकतम घंटे कानून द्वारा स्थायी किये गये हैं।

उन्हे हर हफ्ते में एक दिन छुट्टी और वेतनभोगी सालाना छुट्टियाँ पाने का अधिकार है , इस अधिकार का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

दफा 37

हर स्त्री कर्मचारी, जो पुरुष के बराबर काम करती है, उसे सम तन्खा और पूरे अधिकार मिलने चाहिए। काम का व्यवस्थापन इस प्रकार होना चाहिए के स्त्री अपने परिवार के प्रति जरूरी कर्तव्य निभा सके, एंव मातृत्वस्था और बालावस्था को विशेष रूप से संरक्षण मिले सके।

यह गणराज्य नाबालिग के काम को विशेष कायदो द्वारा संरक्षित करता है और बराबर काम करने पर, सम तन्खा पाने का अधिकार देता है।

दफा 38

हर नागरिक जो किसी भी वजह से काम करने के लायक नहीं और जिसके पास अस्तित्व के साधन नहीं हैं उसे निर्वाह के लिए समाजिक सहायता प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों को बीमाकृत व संरक्षित होने का पूरा अधिकार है ताके दुर्घटना, बीमारी, अयोग्यता, वर्धावस्था और अनिच्छुक बेरोजगारी की हालत में उन्हें निर्वाह के साधन मिलते रहे।

विकलांग या अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स पाने का अधिकार है।

कायदो में लिखे यह अधिकार, उन संस्थाओं और संघटन द्वारा दिलवाए जाएंगे जिन्हें राज्य का समर्थन प्राप्त है या जिनकी स्थापना इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए की गई है ।

निजी बीमा लेने का हर व्यक्ति को अधिकार है  
दफा 39

यूनियन संगठनो को पूरी आजादी है।

यूनियन संगठनो पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ उन्हे कायदो के अनुसार राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री करवानी चाहिए।

रजिस्ट्री करवाने की यही शर्त है, के यूनियन अपना आंतरिक विधान लोकतांत्रिक विधि से बनाए।

वह यूनियन संगठन जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है कानूनी संस्था माने जाएंगे। वह एकीकृत रूप में अपने सदस्यों की संख्या अनुसार, सार्वजनिक काम संबंधी नियम-पत्र बनवा सकते हैं ,इस नियम पत्र (कोनट्रैक्ट)का उद्देश्य उस श्रेणी के हर सदस्य को लाभ दिलावाना होना चाहिए ।

दफा 40

हडताल करने के अधिकार को कानूनी नियमानुसार ,सीमाबंधित किया गया है ।

व्यक्तिगत आर्थिक व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है ।

लेकिन यह व्यवसाय किसी भी प्रकार सामाजिक हित या सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए और इससे किसी की निजि आज़ादी और मर्यादा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए।

कानून ने ऐसे प्रोग्राम व नियंत्रण बनाए हैं जिनके द्वारा हर सार्वजनिक और व्यक्तिगत आर्थिक व्यवसाय को सामाज के लाभ हेतु संयोजित और अभिविन्यस्त किया जा सके।

दफा 42

हर संपत्ति, सार्वजनिक या फिर व्यक्तिगत होती है । आर्थिक पूंजी ,राष्ट्रीय, किसी संस्था की या फिर व्यक्तिगत हो सकती है।

व्यक्तिगत संपत्ति कानून द्वारा मान्य और संरक्षित है, जो के उसकी खरीद ,इस्तेमाल और परिमितता को सुनिश्चित करता ताके वह सार्वजनिक रूप में प्राप्य हो सके।

सामाज के लाभ हेतु, किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को ,कानून द्वारा निश्चित किए गए हालात में हरजाना दे कर ज़ब्त किया जा सकता है।

कानून ने कायदे और सीमाएँ बनाई हैं, जो की विरासत, वसीयत और इस विषय संबंधी सरकार के अधिकारो को भी सपष्ट करते हैं।

दफा 43

विशेष उद्योग या किसी श्रेणी के उद्योग जैसे की सामाजिक सेवा संबंधी विभाग, शक्ति स्रोत या विक्रय का एकाधिकार रखने वाले संस्थान जिनका प्रथम उद्देश्य सामाजिक हेतु होता है, कानून उनकी उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी पहले से, सरकार ,सामाजिक दफ्तर कर्मचारी या उपयोगकर्ता

सम्प्रदाय के लिए सुनिश्चित कर सकती है ,या फिर मुआवजा दे कर, ज़ब्त कर, उन्हें सौंप सकती है।

दफा 44

ज़मीन का उचित उपभोग हो सके और वह सभी नागरिकों के बीच बराबर हिस्सों में बाँटी जाए इस इरादे को सुनिश्चित करने के लिए कानून ने व्यक्तिगत जमीन संबंधी शर्तें और नियन्त्रण बनाए हैं, जिनके अनुसार हर राज्य और कृषिक ज़िले में व्यक्तिगत जमीन के आकार की सीमा नियत है, हर अनउपजाऊ जमीन को उभारना की जिम्मेदारी दी गई है और उसकी उन्नति में मदद दी जाती है, हर बड़ी जायदादी- ज़मीन को बदलने और उसके फिर से व्यवस्थापन जरूरी है, हर छोटे या माध्यम आकार वाले कृषिक उद्योग को सहायता मिल सकती है।

दफा 45

यह गणराज्य, सहकारी संघटनों के सामाजिक प्रकार्य को मानता है, जिनकी सृष्टि, परस्पर आपसी सहयोग से और व्यापारी लाभ के लिए नहीं की गई है । कानून ने उनकी उन्नति संबंधी योग्य साधन और उनके स्वरूप व उद्देश्य पर नज़र रखने के लिए शर्तें और नियन्त्रण बनाए हैं। कानून, दस्तकार सम्प्रदाय की सुरक्षा और उन्नति में मदद करता है।

दफा 46

व्यवसाय की आर्थिक उन्नति व सुधार के साथ ,उत्पादन की ज़रूरत के अनुरूप, यह गणराज्य उद्योग के प्रबंधन और संचालन में, मजदूरों के एक साथ कार्य करने अधिकार को मानता है, अगर यह अधिकार कानून द्वारा बनाई सीमाओं का उल्लंघन ना करे।

दफा 47

यह गणराज्य बचत के हर स्वरूप को प्रोत्साहन और सुरक्षा देता है, वह हर ऋण व जमाशेष संबंधी हर समवाय को नियम बद्ध, संयोजित, नियन्त्रित करता है।

यह गणराज्य, रहने के लिए घर खरीदने पर, खेती के लिए जमीन खरीदने पर, बड़े सरकारी उद्योगों में पैसा लगा कर या अन्य तरीकों से शेर खरीदने पर, नागरिकों की विभिन्न प्रकार से साहायता प्रदान करता है।

दफा 48

हर नागरिक , पुरुष या नारी जिनकी वयस्क उम्र हो गई है ,चुनाव के दौरान वोट देने के अधिकारी हैं।

वोट हमेशा व्यक्तिगत ,सम ,स्वतंत्र और गुप्त होता है ,इसलिए इस अधिकार का इस्तेमाल करना हर नागरिक की राजनैतिक जिम्मेदारी है। कानून ने विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों के वोट संबंधी विधि/ पद्धति और नियम बनाए हैं जो के इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, निरीक्षण करते रहते हैं। इस कारण लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव के दौरान विदेश संबंधित एक चुनाव-क्षेत्र स्थापित की गया है, जिसके सदस्यों की संख्या संविधानिक कायदों और कानूनी प्रबंध अनुसार तय की जाती है।

वोट देने के अधिकार पर कोई बंधन नहीं है, सिवाय जब वैधानिक अयोग्यता या अखण्डनीय सजा का हुक्म हो या फिर कानून द्वारा कुछ स्थितियों में नैतिक अयोग्य ठहराया गया हो ।

दफा 49

हर नागरिक को पूरा अधिकार है के वह स्वतंत्र रूप से किसी भी राजनैतिक दल की तरफ से लोकतान्त्रिक ढंग से चुनाव लड़े और इस देश की विचार धारा निश्चित करने में सहयोग करे।



दफा 53

हर नागरिक को अपनी राजकर देने की क्षमता अनुसार, सामाजिक खर्चों में सहयोग देना चाहिए।

शुल्क निर्धारण करने की प्रणाली, समानान्तर श्रेणी पर आधारित की गई है।

दफा 54

हर नागरिक का कर्तव्य है के वह देश प्रति निष्ठावान हो और उनका आचरण देश के संविधान व कानून अनुसार होना चाहिए।

जिन नागरिकों को सामाजिक-सरकारी पदवी के लिए नियुक्त किया गया है उनका कर्तव्य है के वह पूरे मान व अनुशासन से उस कार्य को निभाए, अगर कानून अनुसार, कुछ स्थितियों जरूरी हो तो, उन्हें शपथ भी ग्रहण करनी होगी।